**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।**
**उपस्थित–सुशील कुमार शशि (एच0जे0एस0–यू0पी02001)**
**जमानत प्रार्थनापत्र सं0: 644 / 2026**
**सी0एन0आर0नं0– यू0पी0जे0पी0 010045892026**

राधेश्याम उर्फ गुड्डू पुत्र रामराज गौतम।
सा0मौ0 लाखरॉव, थाना–बरसठी, जिला जौनपुर।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–187 / 2026
धारा–326(जी), 351(3) बी0एन0एस0,
थाना–बरसठी, जिला जौनपुर।

**29.06.2026**

आवेदक / अभियुक्त राधेश्याम उर्फ गुड्डू द्वारा मु0अ0सं0–187 / 2026, धारा–326(जी), 351(3) बी0एन0एस0, थाना–बरसठी, जिला–जौनपुर के मुकदमें में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी रेखा के द्वारा थाना बरसठी में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी है कि दिनांक 27.05.2026 को समय लगभग 3 बजे शाम की है। प्रार्थिनी की लड़की अंजली को विपक्षी देवर राधेश्याम उर्फ गुड्डू ने चरित्रहीन बोला उसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद विपक्षी प्रार्थिनी के घर में आग लगा दिया जिससे प्रार्थिनी का सारा सामान जल गया और अभी भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। उपरोक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, आवेदक ने आगजनी का अपराध नहीं किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में पब्लिक का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। जिसने आवेदक को तथाकथित अपराध कारित करते हुए देखा हो। प्रार्थी के पास से अपराध में प्रयुक्त किसी वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है। कथित घटना से प्रार्थी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। वादी मुकमदा ने महिलाओं की कहा सुनी में आवेदक को रंजिशन अभियुक्त बनाया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 28.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक / अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का निवेदन विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किया गया है ।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी मुकदमा के घर में आग लगा देने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है, जिससे उसका गृहस्थी का सामान जल जाने का कथन किया गया है। घटना की पुष्टि धारा 180 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत बयानों में वादिनी मुकदमा के द्वारा की गयी है। केस डायरी पर मौके की कोई फोटोग्राफस प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही वादिनी मुकदमा का कौन–कौन

Digitally signed by SUSHIL KUMAR SHASHI
Date: 2026.06.29 19:37:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सा सामान जला है, का कोई विवरण वादी मुकदमा के बयान में आया है। थाने की प्रस्तरवार आख्या में अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 28.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार करके गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का सन्तोषजनक आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

आवेदक/अभियुक्त राधेश्याम उर्फ गुड्डू द्वारा मु0अ0सं0–187/2026, धारा–326(जी), 351(3) बी0एन0एस0, थाना–बरसठी, जिला–जौनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उसके द्वारा मु0–50,000/–रूपये का स्व बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूतियां सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि की दाखिल करने पर, उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

**दिनांक 29.06.2026**
नितिन कुमार/–

( सुशील कुमार शशि )
जे0ओ0कोड–यू0पी02001
सत्र न्यायाधीश,
जौनपुर।